संख्या-70/2019/1892 ई-2/तेरह-2019-110/2014

प्रेषक

आलोक कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 11 अक्टूबर, 2019

विषय:- होटल शिवम स्थित द मैण्डारिन रेस्टोरेन्ट पता एस0-21/115, परेडकोठी, इंगलिशिया लाइन-वाराणसी को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को पृष्ठांकित अपने पत्र सं0-1618/जि0आ0अ0/बार अनु0/एफ0एल0-6(समिश्र)/19-20, दिनांक 01-08-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 01-08-2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला बार समिति की बैठक दिनांक 19-07-2019 में की गई संस्तुति तथा आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-जी-101/दस-लाइसेंस-39/एफ.एल.6,7/होटल शिवम/बार अनु0/वाराणसी, दिनांक 06-09-2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति के दृष्टिगत श्री सिद्धनाथ सिंह पुत्र स्व0 श्रीराम सिंह, निवासी एस0-21/113, परेडकोठी, इंगलिशिया लाइन-वाराणसी द्वारा संचालित होटल शिवम स्थित द मैण्डारिन रेस्टोरेन्ट पता एस0-21/115, परेडकोठी, इंगलिशिया लाइन-वाराणसी को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट में आने वाले आगन्तुकों के वाहनों के कारण सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन बाधित नहीं होगा, पार्किंग स्थल का स्पष्ट चिन्हांकन किया जायेगा। इकाई के अग्निशमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में होंगे व अग्निशमन विभाग की अनापत्ति जिन शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ दी गयी है, उनका इकाई द्वारा पूर्णरूप में अनुपालन किया जायेगा। इकाई द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे एवं सुरक्षा कर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था तथा प्रवेश द्वार पर डी.एफ.एम.डी.(डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) की व्यवस्था की जायेगी।

तदनुसार उपरोक्तानुसार पार्किंग आदि समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-70/2019/1892(1)ई-2/तेरह-2019 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-101/दस-लाइसेंस-39/एफ.एल.6,7/होटल शिवम/बार अनु0/वाराणसी, दिनांक 06-09-2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।